

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक— 381 /FP/UK/MIN/38285/2019 :देहरादून:दिनांक: 07 अगस्त, 2020.

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,  
जोरबाग रोड, नई दिल्ली।

विषय:—जनपद—देहरादून में देहरादून वन प्रभाग की सीमा के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से बहने वाली सौंग 1, 2, 3 एवं जाखन 1 व 2 नदियों के 628.80 हे० नदी तल क्षेत्र से उपखनिजों के चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास नियम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-62/1999 FC(VOL) दिनांक 07.01.2020.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के उपर्युक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 19-12-2019 को सम्पन्न वन सलाहकार समिति (FAC) की बैठक में कतिपय बिन्दुओं पर सूचना/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के पत्रांक 244/12-1 दिनांक 30.07.2020 के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रांक 210 दिनांक 28.06.2020 (प्रति संलग्नकों सहित) के द्वारा विषयांकित प्रकरण में सूचनाएं/स्पष्टीकरण इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के पत्रांक 244/12-1 दिनांक 30.07.2020 की प्रति मय संलग्नक प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार की स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।  
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 7/8/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :- 381 /FP/UK/MIN/38285/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तराखण्ड।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), वन परिसर, 5-चन्द्रबनी रोड, देहरादून।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी